

डिक्री वमुकदमें ईब्दाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 635/2024

1 महेन्द्र कुमार
2 गौरीशंकर

पिसरान भागीरथ जाति जाट निवासी नुकेरा
तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ राज0.
बनाम्

-वादीगण

1 राजपाल पुत्र भागीरथ जाति जाट नि.चक 3 पी.आर.एम तह.खाजूवाला जिला बीकानेर
2 वेदप्रकाश
3 सुरेन्द्र कुमार
4 अग्नेज सिंह

पिसरान भागीरथ जाति जाट निवासी नुकेरा
तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ राज0.

5 चन्द्रकला
6 कमला देवी
7 विमला देवी

पुत्रीया भागीरथ जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ राज0.

8 सजय कुमार
9 कपिल स्याग
10 समेस्ता

पुत्र/पुत्री पार्वती पुत्री भागीरथ पत्नी शुशील कुमार जाति जाट
निवासी 1 एफ बडा शिवपुरी फतूही तह व जिला श्री गंगानगर

11 तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

12 तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वारस्ते

हनुमन्साल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री राजेश बुढानिया वकील वादीगण मिन जामिन
मुदई श्री मनीराम सहू वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 मिन जानिब मुदायला पेश होकर
हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण के मृतक पिता भागीरथ पुत्र
नानकराम के नाम चक न 6 पी.टी.पी खाता स 4/62 ज.स 2072-2075 मे 1.097 है व
चक न 4 आई.डी.जी के खाता स 12/5 ज.स 2071-2074 मे 1.265 है व चक न 5 के
एस.डी खाता स 86/22 ज.स 2070-73 मे 0.591 है व इसी चक के खाता स 88/9 मे
2.445 है व इसी चक के खाता स 87/8 मे 0.717 है व चक न 3 ए.एम.पी खाता स
164/106 ज.स 2072-75 मे 0.844 है दर्ज भूमि का वादीगण व प्रतिवादी स 1 ता 4 को
ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खातो से वादीगण के मृतक पिता
भागीरथ पुत्र नानकराम का नाम कलमजन करे। एवं मृतक भागीरथ पुत्र नानकराम व
राजपाल पुत्र भागीरथ के नाम जिला बीकानेर तहसील खाजूवाला के चक न 3 पी.आर.
एम की खाता स 115/106 ज.स. 2076-2074 की 1.0116 है भूमि व इसी चक के
खाता स 41/42 की 2.6556 है दर्ज भूमि का वादीगण को ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार
घोषित कर उक्त खातो से मृतक भागीरथ पुत्र नानकराम व प्रतिवादी स 1 राजपाल पुत्र
भागीरथ का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत
यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन
किया जावे।

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया


नोट:- प्रश्नगत भूमि बैंक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।


निज..........नल..........मुब्लिक..........निल..........बाबत्..........निल..........खर्चा

मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..........

अदा करें।

बसबत् मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...2.4.2025.....को जारी




(जय कौशिक)
सहायक न्यायाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया